न्यायालय–अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णियाँ)

दिनांक–23.01.2021

T.S-03/2015

वादी एवं प्रतिवादी संख्या–2 एवं 4 की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक–07.01.2020 के आवेदन एवं प्रतिवादी के दिनांक–13.01.2020 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के दिनांक–07.01.2020 के आवेदन के अवलोकन से प्रतित होता है कि वादी कुछ दस्तावेज को साबित करने हेतु साक्षी दिनेश प्रसाद मंडल को प्रस्तुत करना चाहता है। वादी की ओर से पूर्व में दाखिल साक्षी सूची में दिनेश प्रसाद मंडल का नाम अंकित नही है। किसी भी उचित न्याय निर्णयन हेतु उभय पक्षो की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन आवश्यक है, तथा वादी द्वारा अबतक एक मात्र साक्षी को प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में वादी के दिनांक–07.01.2020 के आवेदन को 500 रूपया खर्च के साथ स्वीकार करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि दो तिथियो के अंदर साक्षी दिनेश प्रसाद मंडल को प्रस्तुत करें।

दिनांक–20.02.2021 वास्ते वादी साक्ष्य।

23/01/2021

अवर न्यायाधीश,

बनमनखी।

Scanned with CamScanner